बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–30.08.2017 के अपराह्न 5.00 बजे से राज्य में वर्त्तमान बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा हेतु संकटकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति– यथा संलग्न।

1. **भारतीय मौसम विज्ञान विभाग**

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य में वर्त्तमान में औसत वर्षापात् सामान्य वर्षापात् से 01 प्रतिशत अधिक है। वर्षा की स्थिति कुछ ही जिलों में औसत से कम है, जबकि अधिकांश जिलों में औसत या औसत से अधिक वर्षापात् हुआ है। वर्त्तमान में पूरे राज्य में अच्छी वर्षा हो रही है। राज्य में 01.09.2017 से 04.09.2017 तक भारी वर्षा की संभावना है, परन्तु यह रेड एलर्ट की श्रेणी में नहीं है।

2. **कृषि विभाग**

प्रधान सचिव, कृषि विभाग के द्वारा बताया गया कि बाढ से हुई क्षति के आकलन के लिए आवश्यक निदेश क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दिया गया है तथा क्षति का सर्वेक्षण कार्य जारी है।

मुख्य सचिव के द्वारा यह निदेश दिया गया कि एस0डी0आर0एफ0 प्रावधान के अनुरूप ही फसल क्षति का आकलन सुनिष्चित किया जाय।

3. **पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग**

सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा बताया गया कि बाढ़ग्रस्त जिलों के पशुओं के क्षति एवं मत्स्य संसाधन की क्षति के संबंध में ब्योरा तैयार किया जा रहा है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि वर्त्तमान स्थिति को देखते हुए अब 90 दिनों के लिए चारा की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं रह गई है। अधिकतम 15 दिनों के लिए इन जिलों में चारे की व्यवस्था की आवश्यकता है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि मछली वाले तालाबों की क्षति के संबंध में एस0डी0आर0एफ0 प्रावधान के अनुरूप अनुदान देय है तथा इसके आधार पर ही क्षति का प्रतिवेदन आपदा प्रबंधन विभाग को समर्पित किया जाय। उनके द्वारा पशुपालन पदाधिकारियों द्वारा मृत पशुओं के स्थल सत्यापन एवं 15 दिनों हेतु पशु चारा की व्यवस्था बाढ़ प्रभावित जिलो में किए जाने का निदेश दिया गया।

4. <u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग</u>

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा बताया गया कि बाढ़ से हुई क्षति के संबंध में आकलन किया जा रहा है।

मुख्य सचिव द्वारा यह निदेश दिया गया कि बाढ प्रवण 28 जिला में कम से कम 100–100 की संख्या में जरीकेन उपलब्ध कराया जाय।

मुख्य सचिव द्वारा वहाँ उपस्थित बैंकर्स के प्रतिनिधि से ऋण वसुली के संबंध में चर्चा की गई। चर्चा में यह तय हुआ कि बाढ़ से हुए फसल क्षति के दृष्टिगत बाढ़ प्रभावित 19 जिलो में ऋण वसूली अभी स्थगित रखने हेतु विगत वर्षो की भांति आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह0/–
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक– 1प्रा0आ0–07/2014 (खण्ड–II) 2732/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 5/9/17

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/कृषि विभाग/वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, फुलवारी शरीफ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अनिरूद्ध कुमार)
अपर सचिव